राजस्थान भू-राजस्व (सर्वे, अभिलेख तथा बन्दोबस्त) (सरकारी) नियम, 1957

अधिसूचना प.9(68) राज/वी/57 दिनांक 25.9.57

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 261 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्–

प्रारम्भिक

1. **शीर्षक**–ये नियम राजस्थान भू-राजस्व (सर्वे, अभिलेख तथा बन्दोबस्त) (सरकारी) नियम, 1957 कहलायेंगे।

2. **विस्तार**–ये कोटा जिले के सिरोंज सब डिविजन को छोड़कर समस्त पूर्व गठित राजस्थान में लागू होंगे।

3. **पारम्भ**–ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होंगे।

4. **व्याख्या**–इन नियमों में जब तक कि कोई बात, विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो–

(1) **"अधिनियम"** से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 अभिप्रेत है।

(2) **"संचालक"** से भू-अभिलेख संचालक अभिप्रेत है।

(3) **"प्रारूप"** से इन नियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है।

(4) **"सर्वेक्षण"** में पुनः सर्वेक्षण सम्मिलित है, और

(5) **"धारा"** से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

धारा 109 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम

[1][5. राजस्थान में 40 मीटर लम्बाई की जरीब प्रामाणिक जरीब होगी परन्तु, जहां सर्वेक्षण, अभिलेख लेखन तथा भू-प्रबन्ध अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है और दाशमिक प्रणाली के अनुसार मानचित्र तैयार नहीं किये गए है, भू-प्रबन्ध के पुनरीक्षण तथा पुरानी प्रवृत्त जंजीर प्रयोग में ली जाएगी।

6. समस्त नए सिरे से किए जाने वाले सर्वेक्षणों में प्रामाणिक जरीब का प्रयोग होगा, सिवाय उन ग्रामों के बिखरे हुए टुकड़ों के लिए जो सर्वेक्षण किए गए क्षेत्रों में स्थित हो, जहां संचालक, प्रचलित जरीब जारी रखने की अनुमति दे।

7. जब कि पिछले सर्वेक्षण में प्रमाणिक जरीब के अतिरिक्त किसी अन्य जरीब का उपयोग किया गया था, जहां संचालक जरीब परिवर्तन करने के स्थान पर, क्षेत्रों को प्रमाणिक जंजीर की माप में परिवर्तन करने का आदेश दे सकेगा।

8. जिन ग्रामों में कैडस्ट्रल सर्वेक्षण पहले से ही कर दिया गया हो वहां संचालक की निम्न आधारों पर दी गई पूर्व स्वीकृति के बिना नये सिरे से सर्वेक्षण नहीं किया जायेगा–

(क) ग्राम के पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पिछले सर्वेक्षण के बाद परिवर्तन हो गए हो, तो सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन, अथवा

(ख) क्षेत्र की काश्त तथा आकृतियों में विस्तृत परिवर्तन हो गए हों, अथवा

(ग) पुराने मानचित्र उपयोग **विपिन** हो गए हों या जिनमें बड़े पैमाने पर त्रुटियां सुधारनी अपेक्षित हों अथवा

(घ) पिछले सर्वेक्षण में प्रयोग में लाई गई जंजीर को बदलना वांछित हो।

9. उन ग्रामों तथा क्षेत्रों में जहां पहले कभी भू-कर मापक सर्वेक्षण नहीं हुआ हो, वहां सर्वेक्षण का तरीका यथासम्भव वही होगी जो समीप के सर्वेक्षित क्षेत्र में अपनाया गया था।

1. अधि.सं.प. 6(34) राज/4/80/47 दिनांक 28.8.81 से प्रतिस्थापित।

10. तमाम नये सिरे से किए जाने वाले सर्वेक्षण, सैक्शनल सर्व सीटों पर किये जायेंगे।

11. उस दशा में जब कि ऐसे सर्वेक्षित क्षेत्रों के समीप वाले क्षेत्र में नए सिरे से सर्वेक्षण किया जावे जहां पहले थिओडोलाईट द्वारा सीमाओं का सर्वेक्षण हुआ था, वहां साधारणतः नये सिरे से कैडस्ट्रल सर्वेक्षण करने से पहले थिओडोलाईट से सीमा का सर्वेक्षण किया जायेगा।

12. जहां नया सर्वेक्षण, प्लेन टेबल से किया जाना हो, वहां समीप के सर्वेक्षित ग्रामों की विवादहीन सीमा रेखाएं, आधारभूत रेखाओं के रूप में मानी जायेगी।

13. मानचित्र शोधन पिछले सर्वेक्षण की सीटों पर ही किया जावेगा।

14. किसी क्षेत्र में प्रचलित मानचित्र के मापमान में संचालक की पूर्व अनुमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

धारा 110 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम

15. धारा 110 की उपधारा (1) के अधीन जारी की जाने वाली उद्घोषणा 'प्रारूप संख्या 1' में होगी।

16. धारा 110 की उपधारा (2) के अधीन जारी की जाने वाली उद्घोषणा 'प्रारूप संख्या 2' में होगी।

धारा 112 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम

17. समस्त स्थाई मार्ग तथा रास्ते निरन्तर रेखाओं द्वारा दर्शाये जायेंगे जबकि मौसमी तथा अस्थाई रास्ते तथा मार्ग बिन्दुमय (..............................) रेखाओं द्वारा दर्शाये जायेंगे।

18. पृष्ठ विवरण सम्बन्धित आकृतियां जैसे पहाड़ियां, कुएं, तालाव, नदियां, नाले, सड़कें, रेलवे लाईने, हवाई अड्डे, शमशान भूमि, कब्रिस्तान या चारागाह वास्तविक नाप द्वारा निश्चित किए जायेंगे एवं मानचित्र में दर्शाये जायेंगे।

19. क्षेत्र पुस्तिका या खसरा 'प्रारूप संख्या 3' में होगा।

20. नियम 19 में उल्लेखित क्षेत्र पुस्तिका या खसरे के अतिरिक्त भू-अभिलेख अधिकारी निम्नलिखित अभिलेख भी तैयार करेगा–

(i) खेवट,

(ii) खतौनी,

(iii) लगान या राजस्व से मुक्त भूमि धारण करने वाले व्यक्तियों का रजिस्टर,

(iv) सीमा चिन्हों, स्तम्भों की सूची,

(v) कुंए पर स्वामित्व व अधिकारों का विवरण,

(vi) तालावों पर अधिकारों का विवरण,

(viii) अन्य स्रोतों से सिंचाई के अधिकारों का विवरण, यदि कोई हो,

(viii) अवशिष्ट स्कन्ध तथा जनगणना।

21. (1) आसामियों तथा भू-स्वामियों को वितरित किए जाने वाले परचा खतौनी, 'प्रारूप संख्या 4' में होगा।

(2) आसामियों तथा भू-स्वामियों को दी जाने वाली प्रतियों में अंकित प्रविष्टियों को अनुप्रमाणित (तस्दीक) किए जाने की तिथि तथा स्थान के सम्बन्ध में नोटिस समाविष्ट होगा जिसकी तामील अधिनियम की धारा 60 में विहित रीति से करायी जायेगी।

22. (1) निर्धारित तिथि को परचा खतौनी की प्रत्येक प्रविष्टि, समस्त उपस्थित व्यक्तियों को पढ़कर सुनाई जाएगी। यदि अभिरुचि रखने वाला कोई व्यक्ति प्रविष्टि को सही होना स्वीकार करता है, तो ऐसी स्वीकृति तत्प्रयोजनार्थ निर्धारित स्थान पर अंकित की जाएगी और कार्यवाही में उपस्थित समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त किए जायेंगे।

(2) यदि किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो, विवाद का निर्णय इस अधिनियम के प्रावधानानुसार किया जायेगा।

धारा 114 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम

23. धारा 144 में उल्लिखित पंजिकाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित भी अधिकार अभिलेख के भाग होंगे, अर्थात्–

(i) कुआ, तालावों और सिंचाई के साधनों पर अधिकार का विवरण,

(ii) दस्तुर गांवाई, यदि अभिलिखित हो,

(iii) जमींदारों तथा बिस्वेदारों की वंशावलियां जहां वियमान हों।

24. भू-अभिलेख अधिकारी सर्वेक्षण करते समय ऐसी भूमियों की सूचियां भी बनायेगा जो उसे विधिक स्वामी विहीन प्रतीत होती हों। इन सूचियों की प्रतियां तैयार होते ही भू-अभिलेख अधिकारी 'प्रारूप संख्या 5' में एक उद्घोषणा जारी करेगा।

धारा 120 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम

25. (1) धारा 120 के अधीन ग्राम का रजिस्टर 'प्रारूप संख्या 6' में होगा।

(2) यह रजिस्टर, अभिलेख के प्रसंग से, यदि कोई हो तो, आवश्यक जांच कराने के पश्चात् तैयार किया जाएगा।

धारा 121 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम

26. खतौनी 'प्रारूप संख्या 7' में होगी।

धारा 138 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम

27. (1) समस्त मानचित्रों, क्षेत्र पुस्तिकाओं तथा भू-अभिलेख प्राधिकारी द्वारा तैयार किए गए अन्य रजिस्टरों का निरीक्षण, अभिरुचि रखने वाले पक्षकारों द्वारा सादे कागज पर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में, निःशुल्क किया जा सकेगा।

(2) प्रार्थी को, उसके द्वारा निरीक्षण किए जा रहे अभिलेख से, अभिलेख का संरक्षण करने वाले कर्मचारी की उपस्थिति में पेन्सिल से नोट करने की अनुमति दी जा सकेगी।

धारा 147 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम

28. (1) ज्योंही किसी क्षेत्र की भू-प्रबन्ध कार्यवाहियों के अधीन लाया जावे, भू-प्रबन्ध अधिकारी क्षेत्र का पर्याप्त भ्रमण करेगा और निम्नलिखित तथ्यों को नोट (टिप्पण) लेगा–

(क) क्षेत्र की सामान्य, भौतिक तथा आर्थिक स्थिति जिसके साथ वर्षा तथा जनसंख्या परिवर्तन, संचार व्यवस्था, भू-स्वामियों, किसानों तथा कृषि वर्ग के व्यक्तियों की संख्या, पशुधन की संख्या तथा किस्म, हलों, गाड़ियों और कृषि श्रम वेतनों में परिवर्तन के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण,

(ख) कृष्य क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र (सार्वजनिक निर्माण से सिंचित क्षेत्र तथा भू-स्वामियों और आसामियों द्वारा निर्मित कार्यों से सिंचित क्षेत्रों को अलग-अलग बताते हुए) फसलों और मुख्य फसलों तथा कृषि क्रियाओं में गत बन्दोवस्त के समय से घटित परिवर्तन,

(ग) कृषि धारणाधिकारों, जैसे खुदकाश्त तथा विभिन्न काश्तकारों की श्रेणियों में परिवर्तन भू-धारियों तथा आसामियों द्वारा शिकमी काश्त पर भूमि देने की सीमा के विवरण सहित और जोत की औसत मात्रा,

(घ) विभिन्न श्रेणी के आसामियों द्वारा देय लगान में परिवर्तन का विवरण यथासम्भव चुनी गई अवधि में इकरार किए गए लगान के स्तर, जिसमें यह स्पष्ट किया जावे कि पिछले बन्दोवस्त में लगान की दर निर्धारण के क्या आधार थे।

29. भू-प्रबन्ध अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्र की विद्यमान लगान दर या निर्धारण प्रस्तावों का भलीभांति अध्ययन करेगा।

30. क्षेत्र पृष्ठ विवरण से परिचित होने के पश्चात् भू-प्रबन्ध आयुक्त (बन्दोवस्त आयुक्त) को स्वीकृति

हेतु प्रेपित करेगा–

(क) निर्धारण वृत्तों में परिवर्तन,

(ख) भूमि वर्गीकरण में परिवर्तन,

(ग) अवधि या वर्ष जो उपज के अनुमानों का आधार होंगे,

(घ) रूपान्तरित मूल्य।

31. भू-प्रबन्ध अधिकारी, क्षेत्र के ग्रामों में प्रचलित विभिन्न लगान दरों के सवंर्गों से तथा उनके अवधारणा के आधारों से स्वयं को पूर्णतया परिचित करायेगा।

32. धारा 163 के अधीन अग्रसर होते समय भू-प्रबन्ध अधिकारी प्रत्येक कुंए को एक पृथक् इकाई मानेगा और 'प्रारूप संख्या 8' में विवरण तैयार करेगा।

33. भू-प्रबन्ध अधिकारी, तालावों द्वारा सिंचित क्षेत्रों का वर्गीकरण करते समय, तालाव से उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं की आवृत्ति तथा विस्तार निश्चित करेगा।

34. भू-प्रबन्ध अधिकारी, गांव का निरीक्षण करते समय, विस्तृत ग्राम्य टिप्पणी अभिलिखित करेगा, जिसमें गांव की साधारण स्थिति का वर्णन होगा और उसमें, नियम 28 में उल्लिखित विन्दुओं के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख किया जावेगा।

35. भू-प्रबन्ध अधिकारी, गत बन्दोवस्त के समय से, कृषि फसलों के काटने के समय तक की कालावधि में प्रचलित मूल्य, सरकारी रेकार्ड तथा जहां सम्भव हो प्रमुख व्यापारियों से प्राप्त करेगा।

36. जब तक कि भू-प्रबन्ध आयुक्त अन्यथा कोई आदेश दे, भू-प्रबन्ध अधिकारी, भू-प्रबन्धान्तर्गत तहसील या तहसील के भाग के लिए पृथक्-पृथक् रिपोर्ट तैयार करेगा।

37. भू-प्रबन्ध अधिकारी उन समस्त जोतों के मामलों की जांच करेगा जिनमें लगान भुगतान से, किसी अवधि के लिये सशर्त माफी दी गई थी और उसे प्रतीत हो कि शर्तों का उल्लंघन हुआ है या अवधि समाप्त हो गई है तो उन जोतों का लगान निर्धारित करेगा।

38. (1) जो व्यक्ति बिना लगान भूमि धारणाधिकार का दावा करता हो, और गत भू-प्रबन्ध के समय तैयार किए गए अधिकार अभिलेख में ऐसी प्रविष्टि न हो तो उसे बिना लगान भूमि धारण करने के अपने दावे को प्रमाणित करना पड़ेगा।

(2) यदि ऐसा दावेदार भू-प्रबन्ध अधिकारी संतोषानुसार अपना दावा प्रमाणित कर देता है, तो भू-प्रबन्ध अधिकारी मामले को भू-प्रबन्ध आयुक्त तथा मण्डल के माध्यम से राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) यदि दावा इस प्रकार से प्रमाणित नहीं किया जावे, तो भू-प्रबन्ध अधिकारी, लगान निर्धारण का अधिकार रखने वाले व्यक्ति के साथ ऐसी जोत के लगान निर्धारण की अग्रिम कार्यवाही करेगा।

धारा 150 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम

39. [1][(1) राजस्थान में भूमि के वर्ग निम्नलिखित प्रकार से होंगे–

क. सिंचित–

1.	चाही	कुओं द्वारा सिंचित
2.	नहरी और तालाबी	नहरों या तालावों से सिंचित
3.	दीगर	अन्य साधनों से सिंचित

1. अधि.सं.प. 6(106) राज/बी/60 दिनांक 15.5.61 से पुनः संख्यांकित किया।

ख. सूखी काश्त–

1.	डेहरी, सेवज, खड़ीन या सैलावी	निचले इलाकों जिनमें वर्षा का पानी इकट्ठा होते रहने से नमी वनी रहती है।
2.	तालावी पेटा	तालाव के तल का क्षेत्र
3.	कछार या खातली	नदियों के तल का क्षेत्र
4.	वारानी या वरसाती या माल	वर्षा पर निर्भर क्षेत्र

ग. असिंचित अकृषित–

1.	पड़त या वंजर	अकृषि या पड़त भूमि
2.	वीड़	घास उगाने के लिए आरक्षित क्षेत्र

घ. असिंचित अकृषि योग्य–

1.	गैर मुमकिन	ग्राम के लिए अनुपयोगी भूमि

धारा 154 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

[1][(2) उचित तथा न्याय संगत लगान निर्धारण के प्रयोजनार्थ भूमि का मूल्य ज्ञात करने के उद्देश्य से, भू-प्रवन्ध अधिकारी, प्रत्येक भूमि वर्ग को उतने मण्डलों में विभाजित कर सकेगा जितने निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझे–

(क) भूमि की गहराई तथा उसके गुण, उसकी समानता या उसका अभाव और ऊपरी सतह की समतलता और असमतलता,

(ख) स्थिति या सतह के फैलाव के कारण उत्पादन क्षमता में अन्तर और लाभ तथा हानियों जो प्राकृतिक हों या आकस्मिक जो उन स्थिति से उत्पन्न हों और गांव की आवादी से भूमि की स्थिति का सम्वन्ध, मण्डियों से निकटता, संचार के साधन तथा अन्य सारभूत तथ्य,

(ग) चाही भूमि होने की दशा में पानी की गहराई, मात्रा, कुए का स्थायित्व या अन्यथा, पानी की गहराई, सिंचाई की आवृत्ति, दो फसली होना उगाई गई फसलों की किस्म तथा अधिनियम की धारा 163 में उल्लेखित अन्य तथ्य,

(घ) नहरी या तालावी भूमि होने की दशा में, जल उपलब्धि का स्रोत, काम में लिए गए तरीके, सिंचाई की आवृत्ति तथा उगाई गई फसलें, और

(ङ) वारानी तथा अन्य समस्त सूखी कृषि भूमियों के मामले में, भूमि की प्राकृतिक उपज खेती की नियमितता तथा उगाई गई फसलें।

(3) मृदा का सवसे सामान्य वर्ग, जहां तक सम्भव हो, प्रथम श्रेणी में रखा जायेगा और अन्य श्रेणियों इस श्रेणी के अनुपात में परिभाषित की जायेंगी।

40. भू-प्रवन्ध अधिकारी धारा 154 में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त जो अधिकार अधिरोपित करना चाहे या जिन विद्यमान अधिकारों को समाप्त करना चाहे उनका विनिश्चिय कर अभिलिखित करेगा।

धारा 165 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम

41. (1) धारा 165 की उपधारा (3) के अधीन किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में जिन्स के रूप में लगान वसूल करने पर रोक लगाने का राज्य सरकार का आदेश राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) भू-प्रवन्ध अधिकारी, आदेश की प्रतियां तहसील के नोटिस वोर्ड पर तथा स्वयं के कार्यालय के नोटिस वोर्ड पर चस्पा करायेगा।

1. अधि.सं.प. 6(106) राज/बी/60 दिनांक 15.5.61 से पुनः संख्यांकित किया।

धारा 175 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम

42. "अनिश्चित भू-भाग" से अभिप्राय ऐसे भू-भाग से है जो राजस्थान काश्तकारी (टिनेन्सी) अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) की धारा 16 के परन्तुक के अधीन स्थान वदलने वाले अनिश्चित भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया हो।

43. "कछार" से अभिप्राय जल क्रिया से उत्पन्न क्षेत्र की वास्तविक वढोत्तरी से है। उसमें ऐसी भूमि भी सम्मिलित है जो पहले वंजर थी और अव नदी वहाव से जमा के परिणामस्वरूप काश्त में ली गई हो।

44. "कटाव" से अभिप्राय नदी के वहाव से उत्पन्न क्षेत्र की कमी या रेत या अन्य वस्तु के जमाव से है जिससे पूर्व की कृषि जन्य भूमि अव कृषि के अयोग्य हो गई हो।

45. प्रत्येक प्रथम भू-प्रवन्ध की अवधि तथा अनिश्चित भू-खण्डों और कछारी क्षेत्रों के भू-प्रवन्ध की अवधि, नियम 46 व 47 के प्रावधानों के अधीन दस वर्ष होगी।

46. यदि किसी वर्ष में जिस वर्ष भू-प्रवन्ध हुआ था तव से उसमें किसी निश्चित भू-खण्ड का कृषि क्षेत्र समस्त कृषि क्षेत्र के 20 प्रतिशत से अधिक घट गया हो तो ऐसे वर्ष में 15 नवम्वर से पूर्व कलेक्टर को आवेदन करने पर, निर्धारित लगान में संशोधन किया जा सकेगा और तत्प्रयोजनार्थ कलेक्टर अपना प्रस्ताव राज्य सरकार को मण्डल के माध्यम से प्रेषित करेगा।

47. यदि किसी वर्ष किसी भू-सम्पदा के कुल कृषि में, कटाव के कारण 20 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी भू-प्रवन्ध के पश्चात् आ गई हो तो ऐसे वर्ष में 15 नवम्वर से पूर्व कलेक्टर को आवेदन करने पर, लगान में संशोधन किया जा सकेगा और तत्प्रयोजनार्थ कलेक्टर अपना प्रस्ताव राज्य सरकार को राजस्व मण्डल के माध्यम से प्रेषित करेगा।

प्रारूप 1

(नियम 15 देखें)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 100 की उपधारा (1) के अधीन उद्घोषणा

चूंकि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 106 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना से मार्जिन में निर्दिष्ट स्थान सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के अधीन रखा गया है। अतः उपरोक्त वर्णित क्षेत्र के समस्त भू-धारकों और आसामियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अधोहस्ताक्षरकर्ता का या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को गांव की सीमाओं तथा उसमें स्थित खेतों की सीमाओं के सर्वेक्षण कार्य में अपेक्षित सहायता देने के लिए वाध्य है।

मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर से आज दिनांक..............................को जारी की गई।

अतिरिक्त भू-अभिलेख अधिकारी

प्रारूप-2

(नियम 16 देखो)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 110 की उपधारा (2) के अधीन उद्घोषणा

चूंकि विज्ञप्ति दिनांक..........................द्वारा हाशिये में निर्दिष्ट क्षेत्र के समस्त भू-धारियों और आसामियों को, गांवों की सीमाओं और उसमें स्थित खेतों की सीमाओं के सर्वेक्षण कार्य में सहायता देने के दायित्व के लिए सूचित किया था, अव यह विज्ञप्ति राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (15 आफ 1956) की धारा 110 की उपधारा (2) के अधीन जारी की जाती है और भू-सम्पदाधिकारियों और आसामियों को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे अपने ग्राम, भू-सम्पदा या खेती की सीमाओं को निश्चित करने हेतु, निम्नलिखित सीमा

चिन्ह 15 दिन में खड़े कर लेवें।

ध्यान रहे कि निर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालना नहीं करने पर अतिरिक्त भू-अभिलेख अधिकारी स्वयं उनके खर्च पर उक्त सीमा चिन्ह खड़े करवा देगा, जिसकी वसूली भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जाएगी।

मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर से आज दिनांक...............................सन् 19..............को जारी की गई।

(सीमा चिन्हों का विवरण दीजिये।)

अतिरिक्त भू-अभिलेख अधिकारी।

प्रपत्र 3

(नियम 19)

राजस्थान सरकार बन्दोबस्त विभाग

खसरा...........ग्राम................तहसील.....................जिला...............................संवत्.........

वर्तमान सर्वेक्षण					
कृषि योग्य					
खसरा संख्या, खेत के नाम सहित	क्षेत्रफल	भूमि का वर्ग	क्षेत्रफल	कृषि अयोग्य क्षेत्रफल तथा विवरण सहित	सिंचाई के साधन
1	2	3	4	5	6

पहले का सर्वेक्षण				
खतौनी संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि का वर्ग	फसल का नाम
7	8	9	10	11

सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	असिंचित
12	13	14	15	16	171	18	19

सिंचित	भूमि धारण करने वाले (अनुदान ग्रहिता) का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान उसके भाग (Share) सहित	उप-अनुदाना का नाम, पिता का नाम, जाति तथा भाग सहित	आसामी पिछले सर्वेक्षण का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास तथा काश्तकारी की श्रेणी	आसामी का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास, काश्तकारी की श्रेणी तथा अवधि	शिकमी काश्तकार का नाम, जाति, पिता का नाम तथा निवास स्थान	विशेष
20	21	22	23	24	25	26

प्रपत्र 4

(नियम 21 देखो)

पर्चा खतौनी बन्दोबस्त विभाग

तहसील..................जिला.......................संवत्.........................आसामी का नाम................

आसामी की श्रेणी........................खाता संख्या.........................लगान निर्धारण पर्चा संख्या................

भू-धारक का नाम........................पिता का नाम, जाति तथा निवास स्थान

आसामी का नाम पिता कनाम तथा निवास	खसरा संख्या और खेत का नाम	क्षेत्रफल	सिंचाई के साधन	कितने वर्षों से काविज
1	2	3	4	5

वर्तमान लगान	भूमि की श्रेणी	दर निर्धारण	लगान	विशेष
6	7	8	9	10

पर्चे के इन्द्राज सिवाय स्तम्भ 7 से 9 तस्दीकशुदा है।

आज उपरोक्त आसामी ने भू-धारी के अधिकृत एजेन्ट पटवारी, मौहल्ला, गांव के लम्वरदार तथा अन्य ग्रामवासियों की मौजूदगी में वयान दिया कि.......................

भू-धारी के मान्यता प्राप्त एजेन्ट के हस्ताक्षर या निशान अंगुष्ठ आसामी के हस्ताक्षर या निशान अंगुष्ठ	गांव के लम्वरदार के हस्ताक्षर या निशान अंगुष्ठ निरीक्षक के हस्ताक्षर	तस्दीक की गई/ सहायक रेकार्ड अधिकारी के हस्ताक्षर पटवारी के हस्ताक्षर
दिनांक........................	सर्कल	सर्कल

प्रपत्र 4

(नियम 21 देखो)

तस्दीक हेतु स्लिप नोटिस के साथ ग्राम.......................ठिकाना.......................तहसील..........
जिला.......................प्रेषिति.......................(आसामी).......................भू-धारक का नाम, जाति तथा निवास.......................अनुदान ग्रहीता का नाम, पिता का नाम, जाति तथा निवास.......................

खसरा संख्या खेत के नाम सहित	क्षेत्रफल	सिंचाई के साधन	कितने वर्षों से काविज	वर्तमान दर	विशेष
1	2	3	4	5	6

नोटिस :

अगर आपको उपरोक्त इन्द्राजात पर कोई आपत्ति हो, तो तस्दीक के समय दिनांक.......................
को.......................(स्थान) पर प्रस्तुत करे।

अमीन के हस्ताक्षर,
निरीक्षक के हस्ताक्षर

दिनांक................

सहायक रेकार्ड अधिकारी के हस्ताक्षर
सर्कल

प्रपत्र 5

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का 15) की धारा 115 के अधीन विज्ञप्ति।

चूंकि निम्नलिखित ग्राम में स्थित ऐसी भूमियों की सूची तैयार हो गई जिनका कोई वैध स्वामी होना प्रतीत नहीं होता, अतः समस्त सम्बन्धितों को सूचित करने के लिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का 15) के अधीन यह विज्ञप्ति जारी की जा रही है कि अगर संलग्न सूची में निर्दिष्ट किसी भी भूमि पर या उसके सम्बन्ध में किसी का कोई दावा हो, तो वह इस विज्ञप्ति की तिथि से 3 माह के भीतर प्रार्थना पत्र के ज़रिये अपना दावा उसके आधारों सहित प्रस्तुत करें।

सूचित हो कि अगर निर्धारित समयावधि के भीतर नहीं किया गया तो, संलग्न सूची में उल्लेखित भूमियां सरकारी सम्पत्ति होना घोषित कर दी जायेगी और तद्नुसार उनकी सीमाबन्दी कर दी जाएगी।

अतिरिक्त भू-अभिलेख अधिकारी

सूची

ग्राम.......................जिला.......................में स्थित बिना दावेदारों की भूमियों का ब्यौरा

खसरा सं.	क्षेत्रफल	खेत का ब्यौरा या नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	खेत का ब्यौरा या नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	खेत का ब्यौरा या नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र सं. 6

(देखिये नियम 25)

गांवों का रजिस्टर, जैसा कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 120 द्वारा निर्धारित है

ग्राम का नाम	नदी के बहाव में आ सकने वाला क्षेत्र	राजस्व या लगान जो निर्धारित है	व्यक्तियों के नाम जो अदायगी के लिए जिम्मेदार है	अस्थाई कृषि के अधीन क्षेत्रफल	क्षेत्र, जो राजस्व या लगान मुक्त हो					क्षेत्र जिसका राजस्व या लगान		
					राजस्व या लगान जो निर्धारित है	व्यक्तियों के नाम जो अदायगी के लिए जिम्मेदार हैं	क्षेत्रफल	मुक्ति की शर्ते अगर कोई हों	आदेश तथा प्राधिकारी का हवाला जिसने मुक्ति प्रदान की	क्षेत्रफल	विमोचन हो गया हो विमोचन की शर्ते अगर कोई हों	आदेश और विमोचन प्रदान करने वाले प्राधिकार का हवाला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16

क्षेत्रफल	छूट दी गई छूट की शर्ते अगर कोई हों	आदेश तथा प्राधिकारी का हवाला जिसने छूट दी
11	12	13

क्षेत्र जिसका राजस्व या लगान		
क्षेत्रफल	विमोचन हो गया हो विमोचन की शर्ते अगर कोई हों	आदेश और विमोचन प्रदान करने वाले प्राधिकार का हवाला
14	15	16

अभिहस्तांकित किया गया हो		
क्षेत्रफल	अभिहस्तांकन की शर्ते अगर कोई हों	आदेश और अभिहस्तांकन स्वीकार वाले प्राधिकारी का हवाला
17	18	19

का समझौता या निपटारा हो गया हो			
क्षेत्रफल	कम्पाउंडिग की शर्ते अगर कोई हो	आदेश और समझौता स्वीकार करने वाले प्राधिकारी का हवाला	विशेष
20	21	22	23

प्रपत्र सं. 7

(देखिये नियम 26)

धारा 121 द्वारा निर्धारित खतौनी या ऐसे व्यक्तियों का रजिस्टर जो भूमि पर काश्त करते हो, या अन्यथा भूमि धारण करते हों

गांव का नाम..............................तहसील..........................ज़िला.................संवत्...........

खसरा नं.	पर्चा सं.	खेवट सं.	अनुदानग्राही का नाम, पिता का नाम, जाति तथा निवास	उप अनुदानग्राही का नाम, पिता का नाम, जाति तथा निवास	खुदकाश्तधारों, भू-स्वामी, खातेदार या गैर-खातेदार का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास और भू-धारण की किस्म तथा श्रेणी	खुदकाश्त के आसामी का नाम, पिता का नाम, जाति तथा निवास
1	2	3	4	5	6	7

खातेदारी अधिकार प्राप्त करने वाले भुगतान किया गया प्रिमियम, अगर कोई हो	खातेदारी पर्चे की तारीख हस्तांतरण, अगर कोई हुए हो, ब्यौरे सहित	खसरा सं. खेत के नाम सहित
8	9	10

क्षेत्रफल	भूमि का वर्गीकरण	सिंचाई के स्रोत खसरा सं. के साथ जिसमें स्थापित हो	दर	राशि	विशेष
11	12	13	14	15	16

प्रपत्र सं. 8

(देखिये नियम 32)

कुओं का विवरण-पत्र

गांव का नाम.....................तहसील...................जिला.....................संवत्.............

क्रमांक	कूएं का नाम	खसरा संख्या जिसमें कुआं स्थित है	कुए का वर्णन पक्का	कच्चा	पानी की किस्म	पानी की गहराई
1	2	3	4	5	6	7

लाव या नाल की संख्या	जोड़ियों की संख्या	आसामियों के नाम हिस्सों सहित	पिछले बन्दोबस्त में भूमि की श्रेणी तथा क्षेत्रफल	किस वर्ष में कुआ बनाया गया
8	9	10	11	12

निर्माण का अन्दाज में व्यय	सिंचाई का ढंग	वर्तमान लगान	विशेष विवरण
13	14	15	16

प्रपत्र सं. 8

खसरा संख्या				
आसामी का नाम, पिता का नाम, जाति तथा निवास	पिछले बन्दोबस्त में	वर्तमान बन्दोबस्त में	क्षेत्रफल	पिछले बन्दोबस्त की भूमि
1	2	3	4	5

संवत................ काश्त का क्षेत्रफल					संवत्........... काश्त का क्षेत्रफल				
फसल का नाम	सिंचाई	असिंचित	पड़त	दो फसली क्षेत्र	फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	पड़त	दो फसली क्षेत्र
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

संवत् 20..................... काश्त का क्षेत्रफल					संवत् 20.............. काश्त का क्षेत्रफल				
फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	पड़त	दो फसली क्षेत्र	फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	पड़त	दो फसली क्षेत्र
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

संवत्............ काश्त का क्षेत्रफल					कुल काश्त का क्षेत्रफल			
फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	पड़त	दो फसली क्षेत्र	सिंचित	असिंचित	पड़त	दो फसली क्षेत्र सिंचित व असिंचित
26	27	28	29	30	31	32	33	34

औसत काश्त का क्षेत्रफल						
सिंचित	असिंचित	पड़त	प्रस्तावित	भूमि का वर्ग	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
35	36	37	38	39	40	41